

भूमि ग्राम नालछा तेह0 धार

जि0 धार म0प्र0

PBR/निगरानी धारा/श्र.रा/2017/3388

न्यायालय श्रीमान अख्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

गुलाबसिंह पिता हमिरसिंह जाति राजपूत आयु 63 साल

धंधा खेती निवासी ग्राम नालछा तेह0 व जि0 धार

डा० पी० शर्मा, का०

दि 19-9-17 को

निगरानीकर्ता

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-9-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. तेजसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत आयु 55 साल

2. महेन्द्रसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत आयु 50 साल

दोनों का धंधा खेती निवासीयान जनता कालोनी

धार म0प्र0

विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 अनुसार

" यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व क्षेत्र धार के राजस्व प्र0क0132/अपील/2015-016 तेजसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत बनाम गुलाबसिंह पिता हमिरसिंह राजपूत आदि के मामले में पारित आदेश दिनांक 27-7-017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।"

*(Signature)*



19-9-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/3388

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 04.04.2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। अनावेदक सूचित हों।</p> <p> 2132</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	